SSC (CGL) Tier–III

Volume 1

By
Vinod Kumar

Published by:
KD Publication
701, 2nd Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

First Edition - March, 2017

Price:₹ 30/-

Laser Type Setting

Jitender Saxena

- All right reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in, any form or by any means-electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.
- The publisher has taken utmost precaution in publishing the book, yet if any mistake has inadvertently crept in, the publishers shall not be responsible for the same.

विषय - सूची

	पत्र- लेखन	Page No-	–	01
1.	औपचारिक पत्र	Page No-	–	02
2.	संपादकीय पत्र	Page No-	–	03
3.	सरकारी पत्र	Page No- 04	–	06
4.	कार्यालयी पत्र	Page No-	–	07
5.	शिकायत-पत्र	Page No-	–	08
6.	औपचारिक पत्र-2	Page No-	–	09
7.	व्यावसायिक पत्र	Page No-	–	10
8.	आवेदन पत्र या प्रार्थना-पत्र	Page No- 11	–	12
9.	व्यावसायिक पत्र	Page No- 13	–	14
10.	अनौपचारिक पत्र	Page No- 15	–	17
	निबंध -लेखन	Page No-	–	18
11.	"विमुद्रीकरण"	Page No- 19	–	20
12.	मेक इन इंडिया	Page No-	–	21
13.	समावेशी विकास	Page No-	–	22
14.	आतंकवाद	Page No-	–	23
15.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	Page No-	–	24
16.	भ्रष्टाचार	Page No-	–	25
17.	जन धन योजना	Page No-	–	26
18.	नीति आयोग	Page No- 27	–	28
19.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)	Page No-	–	29
20.	भारत की विदेश नीति	Page No-	–	30
21.	बाल श्रम	Page No-	–	31
22.	डिजिटल इंडिया	Page No-	–	32

लेखक की लेखनी से

ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं :-

1. जो तुम्हें पसंद है, उसे हासिल करना सीख लो ।

2. जो हासिल है, उसे पसंद करना सीख लो।

1 पत्र–लेखन

पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। किसी भी व्यक्ति की जीवनचर्या पत्र के बिना पंगु सी है। इस विलक्षण कला के उपकरण हैं- कागज, कलम और पत्र आलेख की सूझ–बूझ।

पत्र दो प्रकार के होते हैं:

1. औपचारिक पत्र - विशिष्ट विधि विधानों में आबद्ध विधि सम्मत पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। सभी प्रकार के सरकारी , अद्‌र्ध सरकारी और व्यावसायिक तथा संपादकीय पत्र औपचारिक पत्र होते हैं।
2. अनौपचारिक पत्र - जो पत्र हम अपने संबंधियों , मित्रों , परिचितों आदि को लिखते हैं, वे अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। पत्र के मुख्य अंग- स्ए , संस , शामौ। स्पष्टता , एकान्विति , संक्षिप्तता , सहजता , शालीनता, मौलिकता।

विधि

I पत्र लेखक का पता दिनांक के साथ

II पत्र प्राप्तकर्ता के प्रति संबोधन (पद का नाम आदि)

III विषय संकेत

IV संबोधन

V मुख्य कलेवर (सामग्री)

VI समापन निर्देश: हस्ताक्षर व नाम के साथ

VII संलग्नक

औपचारिक पत्र

आप रोहतक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक विनोद कुमार हैं। विमुद्रीकरण के कारण जनता में से कुछ नागरिक अपना कार्य शीघ्रता से चाहते हैं जिस कारण वो बैंक प्रतिनिधियों पर दबाव बनाते हैं अपने शहर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखो लिसमें सुरक्षा मुहैया करवाने की बात की गई हो

27, मॉडल टाउन

पंजाब नेशनल बैंक

रोहतक

दिनांक: 10 जनवरी

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक

रोहतक

विषय: बैंक में सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु।

श्रीमान जी

मैं विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 नवम्बर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण की उद्घोषणा की है, इस योजना के कारण बैंक प्रतिनिधियों पर अतिरिक्त कार्यभार आन पड़ा है। बैंकों में नई मुद्रा की कमी हैं तथा माँग बहुत अधिक है, बैकों में पुरानी मुद्रा के पाँच सौ और एक हजार के नोट जमा करवाने वाले लोगों की और नई मुद्रा के लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के पाँच सौ और एक हजार के नोटों के जमा करवाने की समयावधि निश्चित की गई हैं।

आम जनता में से कई नागरिक अपना कार्य शीघ्रता से चाहते हैं और जब उनका कार्य शीघ्रता से नहीं होता तो वे बैंक प्रनिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाते हैं। जिस कारण बैंक में कार्य करने वालों में भय का माहौल है।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक बैकों में स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक बैंक में दो या तीन सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं ताकि बैंक प्रतिनिधि अपना कार्य निडरता से कर सकें।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

विनोद कुमार

संपादकीय पत्र

आप 14/343, जनता कॉलोनी , रोहतक के विनय कुमार हैं। आपके शहर में स्थित बैकों में नई मुद्रा का वितरण समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस कारण शहर का माहौल अव्यवसित सा हो गया हैं किसी समाचार पत्र के संपादन को पत्र लिखो जिसमें आपकी समस्या को उजागर किया गया हो।

14/343, जनता कॉलोनी

रोहतक

दिनांक: 11 जनवरी, 2017

सेवा में

संपादक महोदय

दैनिक जागरण

चण्डीगढ़

विषय:- विमुद्रीकरण के कारण पनपी समस्या को उजागर करने हेतु।

श्रीमान जी

मैं जनता कॉलोनी, रोहतक का स्थायी निवासी हूँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण की उद्घोषणा की है, तब से यहाँ का माहौल अव्यवस्थित-सा हो गया है। इस शहर में स्थित लगभग सभी बैंकों में मुद्रा का वितरण समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। बैंकों में मुद्रा की आपूर्ति कम है तथा मुद्रा प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है। जिस कारण जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। बैंकों में से मुद्रा लेने वाले बैंक खुलने से लगभग 2 घंटे पहले ही बैंक के सामने जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब तक बैंक खुलता है, बैंक के सामने तिल रखने की भी जगह नहीं रहती । हर जगह शोर-शराबा और धक्का-मुक्की का आलम बना रहता है।

बैंकों में नई मुद्रा की आपूर्ति कम होने के पीछे कई बैंक अधिकारियों का भी हाथ है क्योंकि वो काले धन को सफेद करने में लगे हैं। कई बैंक प्रतिनिधि मुद्रा की कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए हैं। अगर भ्रष्टाचार का यही आलम रहा तो शहर का जीवन वीरान-सा हो जाएगा।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारी इस समस्या को आपके प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और वो उचित कदम उठाकर यहाँ के अव्यवस्थित माहौल को व्यवस्थित करे।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

विनय कुमार

सरकारी पत्र

आप अपने शहर के व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। शहर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखो, जिसमें नकद रहित प्रणाली (कैश लैस) की साक्षरता के लिए सेमिनार लगवाने की अपील की गई हो।

परीक्षा भवन

क. ख. ग.

दिनांक: 12 जनवरी 2017

सेवा में

प्रबंधक महोदय

भारतीय स्टेट बैंक

दिल्ली

विषय: नकद रहित प्रणाली की साक्षरता के लिए सेमिनार लगवाने हेतु।

श्रीमान जी

प्रशासन द्वारा चलाई गई विमुद्रीकरण की योजना के कारण कारोबारी अब नकद रहित लेन-देन पर जोर देने की ओर अग्रसर हैं तथा प्रशासन भी कारोबारियों से यही आशा कर रहा है। हमारे शहर के मुख्य बाजारों में डिजिटल भुगतान लेने की व्यवस्था नहीं है। हम कारोबारी नकद रहित लेन देन के लिए एक सेमिनार का आयोजन करना चाहते हैं।

आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप बैंक प्रतिनिधियों को इस सेमिनार में भेजकर कारोबारियों को प्रशिक्षण दें, जिसमें पी० ओ० एस० मशीन के साथ-साथ उन्हें बैंक की अन्य योजनाओं जैसे- इंटरनेट बैंकिंग, चैक द्वारा भुगतान, एन० इ० एफ० टी० (नेशनल इलैक्टोनिक फंड ट्रांसफर) आर० टी० जी० एस० (रियल टाईम ग्रोस सैटलमैंट) तथा बैंकिग मोबाइल एप आदि के बारे में भी प्रशिक्षित करें ताकि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के नकद रहित लेन-देन भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकें।

मैं आशा करता हूँ कि आप इस बारे में कोई ठोस कदम उठाकर हमारी इस अपील को शीघ्र ही अमलीजामा पहनाएंगे तथा कारोबारियों को जागरूक करेंगे।

धन्यवाद।

आपका शुभचिंतक

रामगोपाल

किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में आम जनता की पूर्ण भागीदारी न होने पर चिंता व्यक्त की गई हो।

परीक्षा भवन

क. ख. ग.

दिनांक : 12 जनवरी, 2016

सेवा में

संपादक महोदय

दैनिक भास्कर

दिल्ली

विषय: स्वच्छता अभियान में आम जनता की पूर्ण भागीदारी न होना।

श्रीमान जी

मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे 'स्वच्छता अभियान' की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज एक तरफ जहाँ सरकार द्वारा प्रत्येक गाँव व शहर को स्वच्छ बनाने के वायदे किए जा रहे हैं , वहीं दूसरी ओर जनता द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग न देने के कारण इसकी सफलता एक सपना सा लग रहा है। आज हम देख सकते हैं कि कई गाँवों में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। जिस कारण गाँवों में बहुत सी बीमारियाँ पनप रही हैं। आज भी गाँवों की गलियों और सड़कों पर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर देखे जा सकते हैं।

यदि हम स्वच्छता अभियान को सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इसका आगाज हमें अपने घरों से ही करना होगा।

मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन विचारों को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में स्थान देकर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे तथा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में हमारे सहयोगी सिद्ध होंगे।

धन्यवाद।

आपका शुभचिंतक

रमेश कुमार

आप 43, अशोक विहार, नई दिल्ली के विवेक हैं। आपके क्षेत्र का डाकिया पत्रों का वितरण बड़ी लापरवाही से करता है। वह पत्रों को यत्र-तत्र फेंक देता है। उसकी शिकायत करने के लिए मुख्य डाकपाल को पत्र लिखो।

43, अशोक विहार

नई दिल्ली

दिनांक: 12 जनवरी, 2017

सेवा में

मुख्य डाकपाल

मुख्य डाकघर

नई दिल्ली

विषय: डाकिए की पत्र-वितरण में लापरवाही की शिकायत करने हेतु।

श्रीमान जी

विनम्र निवेदन यह है कि अशोक विहार का डाकिया डाक वितरण में बहुत लापरवाही करता है। वह नाम और पता देखे बिना पत्र दरवाजे पर फेंक कर चला जाता है। परिणामस्वरूप हमारे पत्र किसी दूसरे के आवास पर पहुँच जाते हैं और दूसरों के पत्र हमारे पास आ जाते हैं।

वह डाक देने में भी विलम्ब करता है। हमें बिजली व दूरभाष के बिल नियत तारीख निकल जाने के बाद मिलते हैं। नागरिकों के पास नौकरी के लिए मिलने वाले साक्षात्कार के पत्र भी विलम्ब से मिलते हैं। उसकी लापरवाही का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। जिस कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। कभी-कभी तो वह कीमती उपहारों को भी गायब कर देता है।

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस डाकिए के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस क्षेत्र के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

धन्यवाद।

आपका शुभचिंतक

विवेक

कार्यालयी पत्र

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से मुख्य सचिव पंजाब राज्य को एक सरकारी पत्र लिखें जिसमें कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई हो।

संख्या: 2/1/2017

दिनांक: 15 जनवरी, 2017

भारत सरकार

गृहमंत्रालय

नई दिल्ली

प्रेषक: अनुराग

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सेवा में

मुख्य सचिव

पंजाब राज्य

चण्डीगढ़

विषय: राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति।

महोदय

मुझे यह सूचना देने का निर्देश प्राप्त हुआ कि पंजाब की बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति से केन्द्र सरकार चिंतित हैं।

सरकार ने इस स्थिति से दृढ़ता से निपटने का निश्चय किया है। हमें ज्ञात हुआ है कि राज्य में कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग कर रहे हैं। वे दंगा-फसाद के साथ-साथ लूटमार आदि की घटनाओं को अंजाम देकर कानून और व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इस संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी।

भवदीय

अनुराग

सचिव, गृहमंत्रालय

शिकायत-पत्र

आप रमेश कुमार, 1397 नांगलराय, नई दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली परिवहन के महाप्रबंधक के नाम एक पत्र लिखिए, जिसमें बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो।

1397, नांगलराय

नई दिल्ली

दिनांक: 12 जनवरी, 2017

सेवा में

महाप्रबंधक महोदय

दिल्ली परिवहन निगम

नई दिल्ली

विषय: बस कंडक्टर का अभद्र व्यवहार

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं प्रतिदिन प्रात: 8 बजे पालम से बस रूट नम्बर 607 से तीस हजारी के लिए यात्रा करता हूँ। इस बस में मुझे प्रतिदिन कोई-न-कोई घटना देखने को मिलती है।

प्रात: के समय इस रूट पर श्री महावीर नामक कंडक्टर नियुक्त है। बस में इसका व्यवहार और आदत दोनों ही खराब हैं। रुपये लेकर टिकट न देना इसकी आदत बन चुकी है। जब यात्री टिकट माँगता है तो उसके साथ यह अपशब्दों का प्रयोग करता महिला यात्रियों के साथ भी यह अभद्र व्यवहार करता है, जिस कारण यात्रियों में इस कंडक्टर के प्रति बड़ा रोष है।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कंडक्टर को इस बस रूट नंबर से स्थानांतरित करके अन्य रूट नंबर पर भेज दें या इसको यात्रियों के साथ शालीनता और शिष्ट भरा व्यवहार करने की हिदायत दें। आशा है कि आप यात्रियों की भावनाओं का आदर करते हुए समुचित कार्यवाही करेंगे।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

रमेश कुमार

औपचारिक पत्र

अपने नगर के विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी के विकास के लिए पत्र लिखिए।

परीक्षा भवन

क. ख. ग.

दिनांक: 12 जनवरी, 2017

सेवा में

सचिव महोदय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली

विषय: पश्चिम विहार के पार्क के संबंध में

श्रीमान जी

मैं इस पत्र के माध्यम से दिल्ली के पश्चिम विहार के पार्क के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पश्चिम विहार का यह पार्क अत्यंत खराब हालत में है। यह पार्क बहुत बड़े स्थान पर फैला है, परंतु इसमें लगे पड़े-पौधे देखभाल के बिना सूख गए हैं। यद्यपि पार्क के लिए पाँच-छह माली नियुक्त हैं, लेकिन सभी आलसी हैं तथा वे पार्क की देखरेख की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

आप तो जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि यहां सांस लेना भी मुश्किल है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा है, जहाँ शुद्ध वायु का सेवन किया जा सके। पश्चिम विहार का यह पार्क इस क्षेत्र के निवासियों के लिए आशा की किरण की तरह था क्योंकि यहाँ के निवासी सुबह-शाम इस में घूमकर शुद्ध वायु का सेवन करते थे परंतु अब इसकी हरियाली गायब हो गई है। अब यह पार्क, पार्क न रहकर एक निर्जन स्थान-सा बन गया है।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पार्क के रख-रखाव संबंधित निर्देश देकर तथा तत्काल कार्यवाही करने का आदेश जारी करके इस क्षेत्र के निवासियों पर उपकार करें।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

अ. ब. स.

व्यावसायिक पत्र

पुस्तक भण्डार के प्रबन्धक की ओर से पुस्तकों के ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए पत्र लिखिए।

विद्या पुस्तक भण्डार

विद्या विहार

दिल्ली

दिनांक: 12 जनवरी, 2017

सेवा में,

मल्होत्रा बुक डिपो

मुखर्जी नगर

दिल्ली

विषय: पुस्तकों के ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता हेतु

महोदय,

आपके दिनांक 12 दिसम्बर,2016 के ऑर्डर के लिए धन्यवाद किन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जिन पुस्तकों का आर्डर दिया है उनका स्टॉक खत्म हो चुका है।

हमने ये पुस्तकें पुनर्मुद्रण हेतु भेजी हुई हैं, जो सम्भवत: 20 दिन में बिक्री हेतु तैयार हो जाएँगी। हमने आपका ऑर्डर अपनी 'ऑर्डर फाइल' में सुरक्षित रख लिया है। जैसे ही पुस्तकें तैयार हो जाएँगी, आपके पास भेज दी जाएँगी।

असुविधा के लिए खेद है।

हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।

धन्यवाद।

भवदीय

विकास गुप्ता

विक्रय प्रबन्धक

विद्या पुस्तक भण्डार

आवेदन पत्र या प्रार्थना-पत्र

अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के शिक्षा शुल्क क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो।

परीक्षा भवन

क॰ ख॰ ग॰

दिनांक : 17 जनवरी, 2017

सेवा में

श्रीमान प्रधानाचार्य जी

रा॰ व॰ मा॰ विद्यालय

दिल्ली

विषय शिक्षा-शुल्क क्षमा करवाने हेतु।

श्रीमान जी

सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में आठवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं एक मध्य-वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक स्थानीय कार्यालय में पाँच हजार मासिक वेतन पर कार्य करते हैं। हम परिवार में सात सदस्य हैं। इस महँगाई के समय में इतने कम वेतन में परिवार का निर्वाह होना अति कठिन है। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी मेरा शुल्क अदा करने पर असमर्थ हैं।

मेरी पढ़ाई में विशेष रूचि है। मैं सदा कक्षा में प्रथम आता हूँ। सभी अध्यापकगण मुझसे सर्वथा संतुष्ट हैं।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षा शुल्क माफ कर मुझे आगे पढ़ने का सुअवसर प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

अ. ब. स.

आपके मुहल्ले में चोरी की घटनाएँ बहुत होने लगी है। नगर के पुलिस-अधीक्षक को मुहल्ले की सुरक्षा के लिए पत्र लिखिए।

परीक्षा भवन

क. ख. ग.

दिनांक : 20 जनवरी, 2017

सेवा में

पुलिस अधीक्षक

दिल्ली

विषय : सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु।

श्रीमान जी

मैं अ. ब. स. कॉलोनी का स्थायी निवासी हूँ। हमारा यह नगर शहर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के अधिकांश निवासी निर्धन हैं। निर्धनता में चोरी हो जाना एक अभिशाप के समान है। गत सप्ताह में तीन चोरी हो चुकी हैं। इन चोरियों में दो साईकिल, 1000 रुपये नकदी और एक भैंस शामिल हैं।

हम इन तीन चोरियों की शिकायत निकटवर्ती थाने में लिखवा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया।

लोगों में निराशा का भाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर चोरी का यही आलम रहा तो यहाँ के निवासियों के लिए जीवन-यापन करना असंभव (दूभर) हो जाएगा।

अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस कॉलोनी की सुरक्षा की ओर ध्यान दें अन्यथा यह बसी-बसाई कॉलोनी उजड़ जाऐगी।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

च. छ. ज.

व्यावसायिक पत्र

सामान का आर्डर प्राप्त करने के लिए कम्पनी के प्रबंधक की ओर से डीलर को पत्र लिखो।

मोहन ट्रेडिंग कम्पनी

खारी बावली

दिल्ली

दिनांक : 20 जनवरी, 2017

सेवा में

साहनी सॉप डीलर

भजनपुरा

दिल्ली

विषय : सामान का आर्डर प्राप्त करने हेतु।

महोदय

गत कई महिनों से आपका कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कोई कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे नियमित ग्राहक हैं। प्रतिमाह हम आपसे हजारों रुपयों के सामान का ऑर्डर प्राप्त करते रहे हैं। हमने आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया है।

हो सकता है, जाने-अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो जिससे आप अप्रसन्न हों। आप हमें अपनी शिकायत बताइए, हम उसे दूर करने की हर सम्भव कोशिश करेंगे परंतु आप इस तरह सामान का ऑर्डर देना बन्द ना करें।

आशा है, हमें पहले की तरह ही आपका सहयोग प्राप्त होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा परम ध्येय है।

धन्यवाद।

भवदीय

क. ख. ग.

प्रबंधक

मोहन ट्रेडिंग कम्पनी

किसी समाचार-पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त बिजली की अव्यवस्था का वर्णन किया गया हो।

परीक्षा भवन

क॰ ख॰ ग॰

दिनांक : 11 फरवरी, 2017

सेवा में

संपादक महोदय

दैनिक भास्कर

नई दिल्ली

विषय : बिजली की अव्यवस्था के कारण हुई कठिनाइयों को उजागर करने हेतु।

श्रीमान जी

मैं आपके लोकप्रिय समाचार-पत्र के माध्यम से नगर में फैली बिजली की अव्यवस्था की ओर बिजली-विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे इलाके में बिजली का बड़ा अभाव है। दिन में सिर्फ दो घंटे ही बिजली आती है और सारा दिन गुल रहती है। खाना खाने के समय तो बिजली आती ही नहीं।

बच्चों की परीक्षाओं का समय है। बिजली न आने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। बिजली के अभाव में पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई है। इस कारण नगरवासियों का जीवन दूभर हो गया है।

आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने समाचार-पत्र में हमारी इस समस्या को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें ताकि बिजली-विभाग इस नगर की सुध ले तथा हमें इस समस्या से छुटकारा मिले।

धन्यवाद।

आपका भवदीय

अ॰ ब॰ स॰

अनौपचारिक पत्र

अपने मित्र सोहन को पत्र लिखकर बताइए कि महानगरीय जीवन दु:खद भी है और सुखद भी।

परीक्षा भवन

क॰ ख॰ ग॰

दिनांक : 12 फरवरी, 2017

प्रिय मित्र सोहन

नमस्कार

तुम्हारा पत्र मिले काफी दिन हो गये। मन में चिंता हो रही थी, तो तुम्हें पत्र लिखने का मन किया। कई दिनों पहले तुमने दिल्ली में रहने की उत्सुकता दिखाई थी। आज मैं तुम्हें दिल्ली के जीवन के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ।

तुम जानते हो कि दिल्ली, भारत की राजधानी है। यह ऐतिहासिक नगर है। यह नगर अनेक बार उजड़ा और बसा। यहाँ पर भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लोग आए और गए। यहाँ की चौड़ी सड़कें, गगनचुम्बी इमारतें तथा ऐतिहासिक इमारतें आदि एक अद्‌भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ विश्व की सब सुविधाएँ तथा नौकरी के लिए हजारों क्षेत्र विद्यमान हैं। यहाँ चिकित्सा सुविधाएँ भी हैं।

इस महानगरी का दूसरा रूप बहुत बुरा है। यहाँ घंटों यातायात जाम रहता है। यहाँ पारस्परिक सद्‌भाव की कमी है। यहाँ प्रदूषण अधिक है। शोर-शराबे का आलम हैं। यहाँ चोरी और डकैती की घटनाएँ अकसर घटती रहती है।

आशा है कि तुम महानगरीय जीवन से कुछ परिचित हो गए होंगे। शेष जानकरी तुम्हें साक्षात्कार होने पर मिल जाएगी। शेष सब कुशल हैं।

छोटों को प्यार व बड़ों को प्रणाम कहना।

तुम्हारा मित्र

अ॰ ब॰ स॰

देश में बढ़ रही कन्या-भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार-पत्र के संपादक को पत्र लिखो।

परीक्षा भवन

क॰ ख॰ ग॰

दिनांक : 3 मार्च, 2017

सेवा में

संपादक महोदय

दैनिक भास्कर

नई दिल्ली

विषय : कन्या-भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृति के संदर्भ में।

श्रीमान जी,

मैं आपके लोकप्रिय समाचार-पत्र के मध्यम से देश में बढ़ रही कन्या-भ्रूण हत्या की प्रवृति की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अनेक लोग गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या-भ्रूण होने की स्थिति में उसे गर्भ में ही मरवा देते हैं। ऐसा करने वाले निर्धन या अशिक्षित वर्ग के लोग ही नहीं होते बल्कि समाज का शिक्षित और ध नी वर्ग भी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी करता है।

समाज में यह दृष्टिकोण अत्यन्त रूढ़िवादी और पिछढ़ा है जिसे किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। समाज के समझदार और तार्किक लोगों का कर्तव्य है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर कन्या-भ्रूण हत्या को अंजाम देने वाले या उसका समर्थन करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें ताकि समाज का संतुलन एवं समग्र विकास संभव हो सके।

धन्यवाद।

आपका शुभचिंतक

अ॰ ब॰ स॰

अनौपचारिक पत्र

अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ बिताने के लिए पत्र लिखो।

परीक्षा भवन

क. ख. ग.

दिनांक : 4 मार्च, 2017

प्रिय मित्र

सप्रेम नमस्ते

कल शाम को ही तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र मिला। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कल मेरा भी परीक्षा-परिणाम घोषित हुआ था। मैने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

जैसा कि तुम जानते हो स्कूल में प्रत्येक वर्ष गर्मियों में अवकाश पड़ता है। हमारा विद्यालय भी 10 मई से 25 मई तक बंद रहेगा। तुम्हारा विद्यालय भी इस दौरान बंद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अवकाश के दौरान हम उत्तराखण्ड साथ रहें। एक-दो दिन यहाँ रहकर हरिद्वार और ऋषिकेश चलेंगे। इन दिनों यहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है। तुम अपने माता-पिता से विचार-विमर्श करके अपने आने के कार्यक्रम की शीघ्र सूचना देना। मुझे तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा।

तुम्हारा मित्र

अ. ब. स.

2 निबंध -लेखन

किसी विशेष विषय पर अपने विचारों को संकलित करके क्रमबद्ध शुद्ध और आकर्षक भाषा में लिखी गई रचना निबंध कहलाती है।

निबंध का अर्थ है - अच्छी तरह नियमों में बंधी हुई रचना ।

निबंध लेखन की क्रमबद्ध तरीका

शीसं

शीर्षक का अध्ययन

संकेत बिंदुओं को समझना

शश

शब्दचयन

शब्द सीमा

प्राक्र

निबंध का प्रारूप

क्रमबद्धता

मुनि

मुहावरों का उचित प्रयोग

निष्कर्ष

निबंध के प्रकार-04

ववि

वर्णनात्मक - स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष

विचारात्मक -विज्ञान, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पक्ष-विपक्ष, नकारात्मक-सकारात्मक

भावात्मक - सूक्ति प्रधान

विश्लेषणात्मक - व्याख्यात्मक, अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध आदि।

भावि

ध्यान देने योग्य बातें :

1. निबंध का चिंतन करें।
2. निबंध का आरंभ और अंत आकर्षक हो।
3. भाषा सरल व स्वाभाविक हो।
4. लेख सुंदर, आकर्षक व शुद्ध हो।
5. उचित मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग हो।

"विमुद्रीकरण"

8 नवम्बर, 2016 से पूर्व संभवत: भारत के आम लोग विमुद्रीकरण शब्द से अपरिचित ही रहे होंगे। इसका मुख्य कारण इस शब्द का रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग का लगभग ना होना रहा है। हो सकता है इससे पहले अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, शिक्षक और अर्थजगत के ज्ञाता विमुद्रीकरण शब्द से अवगत तो रहे हों परंतु क्या भारत में इसे अमली-जामा पहनाया जा सकता था, इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा।

जिस तरह से पिछले ढ़ाई वर्षों से देश की सरकार काले धन पर लगाम लगाने में सक्रिय थी, उससे यह तो अनुमान लगाया जाने लगा था कि काले धन को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया जा सकता है। अंतत: 8 नवम्बर, 2016 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े मूल्य के नोटों यानि 500 और 1000 के नोटों को उसी दिन की अर्धरात्रि से बंद कर दिए जाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद दोनों वर्गों के नोट कानूनी तौर पर अवैध हो गए।

"विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी देश की सरकार अपनी देश की मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है तथा इसके बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद-बिक्री, लेन-देन नहीं हो सकता और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है।"

किसी भी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में से किसी खास वर्ग या वर्गों को प्रतिबंधि त करने के कई कारण होते हैं। प्रतिबंध के संबंध में सबसे खास बात यह है कि सामान्यत: प्रतिबंध बड़े मूल्य वर्ग के दामों पर लगाया जाता है, जैसा कि भारत ने 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया।

"विमुद्रीकरण" के कारणों में सबसे प्रमुख कारण है देश की अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका।

जब किसी देश में लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से नगद लेन-देन अधिक करने लगते हैं, तब मुद्रा की जमाखोरी बढ़ जाती है तथा यही जमाखोरी धीरे-धीरे काले धन के रूप में खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल देश को नुकसान पहुँचता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जाता है। यह काला धन ही देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध तथा तस्करी का मुख्य पोषक बन जाता है।

"विमुद्रीकरण" का सबसे करारा प्रहार काले धन के कुबेरों पर पड़ा है। विमुद्रीकरण से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि विदेशों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये काले धन के रूप में छिपाकर रखे हुए थे, जिनका उपयोग आतंकवाद, तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में धड़ल्ले से हो रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने विमुद्रीकरण कर काले ध न पर पूर्ण अकुंश तो नहीं परंतु इसके साम्राज्य पर लगभग 80 प्रतिशत प्रभाव अवश्य पड़ा है।

"विमुद्रीकरण" के बाद सरकार की मुद्रा योजना को बल मिलेगा। जब बैंकों में नगदी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा तो औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। परिणामस्वरूप, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

विमुद्रीकरण के कारण सरकार को टैक्स अधिक मिलेगा। इसके बाद सरकार कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा सकती है। लोगों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। लोगों को आवास योजना का भी फायदा मिलेगा।

विमुद्रीकरण के दौर में देश के पर्यटन उद्योग को बड़ा धक्का लगा है। इस दौरान देश में स्थानीय मुद्रा की कमी से विदेशी पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। समस्या को देखते हुए पर्यटकों ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, पर्यटन उद्योग मंदी की चपेट में आ गया।

इसके कारण अर्थव्यवस्था में एक बार तो सुस्ती आ जाती है परंतु यह ठहराव थोड़े समय के लिए होता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है "विमुद्रीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय का फायदा ही लेकर आता है।" सुखद व बेहतर भविष्य के लिए थोड़ा बहुत नुकसान कोई मायने नहीं रखता।

मेक इन इंडिया

25 सितम्बर, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का आगाज किया। भारत में निवेश करने के लिए पूरे विश्व से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को आमंत्रित करने की यह एक पहल है। देश के किसी भी क्षेत्र में जैसे- उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, निर्माण, रसायन, बंदरगाह, पर्यटन, स्वास्थ्य, रेलवे और चमड़ा आदि में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत में विनिर्माण पावर हाउस की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों के पास इस आकर्षक योजना के लिए सभी साधन-संपन्न प्रस्ताव हैं।

व्यापार के क्षेत्र में इसे एक वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए देश में डिजिटल नेटवर्क के साथ ही असरदार (प्रभावशाली) भौतिक संरचना के निर्माण पर केन्द्रित भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' का आगाज किया गया। इसका प्रतीक एक विशाल शेर है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है तथा जिसके पास ढ़ेर सारे पहिए हैं जो शांतिपूर्ण प्रगति और चमकीले भविष्य के मार्ग को इंगित करते हैं। ढ़ेर सारे पहिओं के साथ चलता हुआ शेर साहस, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है।

एक वैश्विक व्यापारिक केन्द्र में देश को बदलने के लिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिजाइन किया गया क्योंकि इसके पास स्थानीय और विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक प्रस्ताव हैं, देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रकों जैसे- ऑटोमोबोईल, आईटी, रक्षा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, सड़क तथा थर्मल ऊर्जा आदि में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का उद्देश्य अधिक संख्या में मूल्यवान और सम्मानित नौकरी उत्पन्न करना है।

इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख निवेशकों की मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न होंगे। यह अभियान निवेशकों और हमारे देश दोनों को फायदा पहुँचाएगा। निवेशकों के असरदार और आसार संचार के लिए एक ऑनलाइन पार्टल तथा एक समर्पित सहायक टीम भारत सरकार ने बनाई है।

यह बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम है। वास्तव में सरकारी वेबसाइट www.makeindia.gov.in का विजन वक्तव्य अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में मध्यावधि की तुलना में 12-14 प्रतिशत तक बढ़ाने और मुख्य की हिस्सेदारी 16-25 प्रतिशत तक बढ़ाने और मुख्य रूप से अकेले विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समावेशी विकास

"अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है आत्मविश्वास।
समान अवसरों के साथ विकास करना ही है समावेशी विकास"

भारत में समावेशी विकास की अवधारणा कोई नई नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों का यदि अवलोकन करें तो उनमें भी सभी लोगों को साथ लेकर चलने का भाव निहित है। "सर्वे भवन्तु सुखिन:" उक्ति में भी सबको साथ लेकर चलने का भाव दृष्टिगोचर होता है। नब्बे के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से यह शब्द नए रूप में प्रचलन में आया क्योंकि उदारीकरण के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आपस में निकट से जुड़ने का मौका मिला और अब यह अवधारणा देश और प्रान्त से बाहर निकलकर वैश्विक संदर्भ में भी प्रासंगिक बन गई है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं में समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का तो सारा जोर एक प्रकार से त्वरित, समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने पर है।

समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुँच को भी सुनिश्चित करे, उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है।

समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादि सुविधाओं जैसे- आवास, योजना, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास और स्वास्थ्य के साथ-साथ गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना है क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया। विकास न तो टिकाऊ होता है और न ही समावेशी। वस्तुपरक दृष्टि से समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी आती है।

आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की एक चौथाई से अधिक आबादी अभी भी गरीब है तथा उसे जीवन की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत में समावेशी विकास की अवधारणा सही मायनों में जमीनी सतह पर नहीं उतर पाई है और ऐसा भी नहीं है कि इन छह दशकों में सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोगों की गरीबी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम बने परंतु उचित अनुसरण के अभाव में इन कार्यक्रमों से आशानुरूप परिणाम नहीं मिले और कहीं तो ये कार्यक्रम पूरी तरह भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गए।

आर्थिक सर्वे का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि देश की अधिकांश जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है कि जीडीपी में भागीदारी केवल 13 प्रतिशत है और इस पर देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 65 प्रतिशत जनसंख्या के पास केवल देश के 13 प्रतिशत संशाधन हैं। असमानता का पहला कारण तो यहीं से समझ में आता है और शेष बची जनसंख्या के पास ही देश के 85 प्रतिशत संशाधनों का कब्जा है। उनमें भी माना जाता है कि टॉप के 5 प्रतिशत लोग ही उनकी 95 प्रतिशत संशाधनों की हकदारी रखते हैं। इन सबके बाद हम यह भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नीति-निर्माता किस प्रकार के समावेशी विकास की बात कर रहे हैं।

समावेशी विकास का तात्पर्य कदापि आर्थिक या सामाजिक समानता नहीं है। इसका मतलब केवल सबको उन विकल्पों तक पहुँच प्रदान करता है जिनसे कि कथित तौर पर विकास के रास्ते पर चला जा सकता है। इसमें यह भी तय नहीं है कि उन विकल्पों की गुणवत्ता कैसी है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार समावेशी विकास के नाम पर वो सुविधाएँ प्रदान करेगी जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल तथा विकास पर जोर देती हैं।

आतंकवाद

"न करें विवाद और न करना चाहिए प्रतिवाद।
हिंसा का गैर कानूनी तरीका है, आतंकवाद।।"

आज यदि हम भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार करें तो हमें लगता है कि हमारा देश अनेक समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। एक ओर भुखमरी, दूसरी ओर बेरोजगारी, कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का प्रकोप है। इन सबसे भयानक समस्या आतंकवाद की समस्या है जो देश रूपी वट वृक्ष को दीमक के समान चाट-चाट कर खोखला कर रही है। कुछ अलगाववादी शक्तियाँ तथा पथ-भ्रष्ट नवयुवक हिसांत्मक रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में दंगा-फसाद कखाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं।

आतंकवाद का अर्थ है- "देश में आतंक की स्थिति उत्पन्न करना।" इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर हिंसात्मक उत्पात मचाये जाते हैं जिससे सरकार उनमें उलझकर सामाजिक जीवन के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती आसानी ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है।

लोगों का वह समूह जो आतंकवाद का समर्थन करता है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादियों के पास कोई नियम और कानून नहीं होता। आतंकवादी रेल पटरियों को उखाड़ कर, बस यात्रियों को मारकर, बैंकों को लूट कर तथा सार्वजनिक स्थलों पर बल फेंक कर आतंकवाद को अंजाम देते हैं। बीते दिनों मुम्बई के ताज होटल पर हुआ हमला भी आतंकवादियों द्वारा किया गया था।

भारत में आतंकवाद के विकसित होने के अनेक कारण हैं जिनमें से प्रमुख गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तथा धार्मिक उन्माद हैं। इनमें से धार्मिक कट्टरता आतंकवादी गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहित कर रही है। लोग धर्म के नाम पर एक-दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। धार्मिक उन्माद अपने विरोधी धर्मावलंबी को सहन नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-सिख आदि धर्म के नाम पर अनेक दंगे भड़क उठते हैं।

आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार तथा जनता को मिलकर प्रयास करने चाहिए। सरकार द्वारा कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पथ-भ्रष्ट युवक-युवतियों को समुचित प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजनगार के पर्याप्त अवसर मुहैया करवाने चाहिएं। ऐसा करने से युवा-वर्ग, पथ-भ्रष्ट नहीं होंगे और आतंकवादियों को अपना षडयंत्र पूरा करने लिए जन शक्ति नहीं मिलेगी। परिणामस्वरूप आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। जनता द्वारा अपरिचित व्यक्ति से उपहार न लिया जाए और सार्वजनिक स्थलों तथा बसों व रेलगाड़ियों में पड़ी लावारिस वस्तु को स्पर्श करने की बजाए उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए।

यदि आतंकवाद की समस्या का गंभीरता से समाधान न किया गया तो देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जिस आजादी को हमारे पूर्वजों में अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राप्त किया, उसे हम आपसी वैर-भाव से समाप्त कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अतः आतंकवाद का समाधान जनता एवं सरकार दोनों के मिले-जुल प्रयासों से ही संभव हो सकता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

"हल्दी, रोली, कंगन का नाम शृंगार नहीं होता,
रक्षाबंधन, भैया दूज का त्योहार नहीं होता।
वो घर सूना ही रह जाता है संसार में,
जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता।"

भारतीय समाज में छोटी बच्चियों के खिलाफ भेदभाव और लैंगिक असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी, 2015 को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के नाम से एक सामाजिक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मकसद भारतीय समाज में लड़कियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यों की कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए भी है।

देश में छोटी लड़कियों को सशक्त करने के साथ-साथ समाज में लड़कियों की गिरती संख्या के अनुपात के मुद्दे को बताने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण ढ़ंग से इस राष्ट्रव्यापी योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों के प्रति लोगों की विचारधारा में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही यह योजना भारतीय समाज में लड़कियों की महत्ता को भी इंगित करती है।

भारतीय समाज में छोटी लड़कियों पर बहुत सारे प्रतिबंध किए जाते हैं जो उनकी उचित वृद्धि और विकास में रोड़ा बन जाते हैं। लोगों का मानना है कि लड़कियाँ पहले परिवार पर बोझ होती हैं और फिर पति पर।

लड़कियों के बारे में 21वीं सदी में लोगों की यह मानसिकता कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं, वाकई शर्मनाक है। इसको जड़ से मिटाने की जरूरत है। छोटी लड़कियों की स्थिति अंतिम दशक में बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि कन्या-भ्रूण हत्या एक बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रही थी। उच्च तकनीक के द्वारा लिंग जाँच करवाकर जन्म से पूर्व ही लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था। लड़कियों की संख्या को कम करने में लोगों की यह धारणा भी गलत थी कि घर में लड़कियों की जिम्मेदारी तुच्छ होती हैं।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एक प्रभावकारी योजना है जिसके तहत लड़कियों की संख्या में सुधार, इनकी सुरक्षा, शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास आदि का लक्ष्य पूरे देश में है। ऐसा अनुमान है कि आगामी दिनों में सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से किसी भी लड़की को गर्भ में नहीं मारा जाएगा। अतः पूरे देश में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का लक्ष्य लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के स्वतंत्र बनाना है।

भ्रष्टाचार

"दो और दो होते हैं चार।
निम्नकोटि का आचरण होता है भ्रष्टाचार।।"

मनुष्य एक सामाजिक, सभ्य और जागरूक प्राणी है। उसे एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अनेक प्रकार के लिखित-अलिखित नियमों तथा समझौतों का उचित पालन एवं निर्वाह करना होता है। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है और स्वार्थ हित के कार्य करता है, वह मनुष्य भ्रष्ट होने लगता है।

'भ्रष्टाचार' एक विष के समान है जो समाज व देश के गलत लोगों के दिमाग में फैला होता है और ये गलत लोग अपनी सत्ता, संपत्ति और शक्ति का अनुचित इस्तेमाल आत्म-संतुष्टि और निजी स्वार्थ के लिए करते हैं।

भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है और वर्तमान समय में इससे कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है। चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, राजनीति का या फिर खेल का। चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्तियों की बर्बादी, घोटाला और अनैतिक आचरण आदि भ्रष्टाचार की ही इकाईयाँ हैं।

आधुनिक समय में भ्रष्टाचार की चिंगारियां समस्त विश्व में सुलगती हुई दिखाई दे रही हैं तथा भारत में तो इसकी ज्वाला धधक रही है। पैसों के लिए इन अपनी वास्तविक जिम्मेवारी भूल चुके हैं और हमारी पैसा कमाने की भूख हमें भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल रही है। हम अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अपनी शक्ति, पद तथा हमारे सार्वजनिक संशाधनों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जहाँ हमारे नेताओं को 'परोपदेशे पाण्डित्यम्' की नीति को छोड़ना होगा वहीं आम जनता को भी आत्मसंयम से काम लेना होगा। आज नैतिकता को बढ़ावा देने की जरूरत है। समाज में समानता लाने के लिए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जरूरत है। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए तथा किसी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए। सरकार का भी कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष व्यक्तियों की जाँच की समिति बनाकर देश में होने वाले घोटालों की जाँच करवाए।

अगर हम देश में भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी प्रयास करने होंगे, तभी इस विकट समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

जन धन योजना

"देश के लिए समर्पित कर दो अपना तन, मन और धन।
बचत की सबसे अच्छी योजना है, जन-धन।।"

सुरक्षित ढंग से पैसों की बचत के उद्देश्य के लिए बैंक खातों से हरेक भारतीय नागरिक को जोड़ने के लिए 28 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन-धन योजना का शुभारंभ किया गया। लाल किले पर राष्ट्र को सम्बोधित करने के दौरान 15 अगस्त, 2015 को उन्होंने इस योजना की घोषणा की। हालांकि इस योजना की शुरुआत दो सप्ताह बाद हुई। इस योजना के अनुसार "इस योजना की शुरुआत होने के पहले ही दिन लगभग एक करोड़ बैंक खाते खोल गए।"

वास्तव में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम भारतीय लोगों के लिए कुछ सुअवसर प्रदान करने हेतु एक संपत्ति योजना है। यह योजना गरीब लोगों को पैसा बचाने में सक्षम बनाने के लिए भी है।

भारत एक ऐसा देश है जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पिछड़ेपन की स्थिति के कारण अभी भी विकासशील देशों में गिना जाता है। यहाँ अनुचित शिक्षा, असमानता, सामाजिक भेदभाव और अनेक सामाजिक मुद्दों के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

भारत में इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया गया। बैंक खातों के महत्व के बारे में जागरूक बनाने के साथ ही बैंक खाता खोलने के फायदे और प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाने और उनके दिमाग को इस ओर आकर्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नामांकन कैम्प भी लगाए गए।

जन धन योजना के कारण लोग पैसा बचाने की आदत के बारे में जागरूक होंगे जिससे वे भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा उनके भीतर विश्वास बढ़ेगा। बचत किए गए पैसों की मदद से वे बुरे दिनों में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। जब प्रत्येक भारतीय के पास अपना बैंक खाता होगा तब वे पैसों की बचत के महत्व को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और आने वाले दिनों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा।

नीति आयोग

"इस जहाँ में सब से श्रेष्ठ है कर्म योग।

योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान है नीति आयोग।।"

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी, 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इससे आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ-ही-साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे।

संस्थान के तहत व्यवस्था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।

यह आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचाएगा । आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उन के बारे में कि समान विचार धारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ-ही-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया है या नहीं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह आयोग रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढ़ांचा तैयार करेगा तथा साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे। साथ में आवश्यक संशाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।

महत्वपूर्ण निबंध

1. विमुद्रीकरण
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ
3. आतंकवाद
4. भ्रष्टाचार
5. नीति आयोग

6. डिजिटल इंडिया
7. महिला सशक्तिकरण
8. ग्लोबल वार्मिंग
9. वस्तु एवं सेवा कर (GST)
10. बाल श्रम
11. समावेशी विकास
12. दहेज प्रथा
13. भारत की विदेश नीति
14. कश्मीर समस्या
15. जन-धन योजना
16. स्वच्छ भारत अभियान
17. मेक इन इंडिया

महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी

शृंगार	उज्जवल	रचयिता
अतिशयोक्ति	प्रादुर्भाव	उच्छृंखलता
श्रीमती	अंतर्धान	ब्राह्मण
कवयित्री	आशीर्वाद	मृत्युंजय
व्यावसायिक	दीवाली	अध्येता

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

'जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर' एक ऐसी दवा का नाम है जो भारत की Tax (कर) वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर देगी। गत दिनों राज्यसभा में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पर बहस और मतदान हुआ था। यह संविध ान में 122 वाँ संशोधन विधेयक है। इस संशोधन को भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन माना जा रहा है जिसे राज्यसभा ने पास कर दिया है। राज्यसभा में जीएसटी को लेकर संविधान संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद पूरे देश में इसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया जा सकता है।

जीएसटी लागू होने के बाद घर और कार खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और सभी प्रकार के ऐश्वर्य सामानों पर अभी 30 से 44 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है लेकिन जीएसटी लागू होने से यह 18 प्रतिशत हो जाएगा जिसकी वजह से ये कारें 45 हजार रुपए तक सस्ती हो सकती है। अभी घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स और Vat दोनो चुकाने पड़ते हैं लेकिन जीएसटी आने पर आपको सिर्फ एक तरह का ही टैक्स देना होगा। इसी तरह Restaurant में खाना खाने के साथ-साथ एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण आदि खरीदने पर GST आने पर ये सामान काफी कम कामों पर घर ला पाऐंगे। GST के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, Vat, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे कर समाप्त हो जाएंगे।

इसके विपरीत GST लागू होने के कुछ वर्षों तक आपको महंगाई वाले दिन देखने पड़ सकते हैं। पैक किए हुए खाद्य उत्पाद (Packaged food product) पर ज्यादातर राज्यों में अभी कोई ड्यूटी नहीं लगती तथा जहाँ इन उत्पादों पर ड्यूटी लगती है वहाँ भी इसकी दर 4 से 6 प्रतिशत तक है लेकिन GST लागू होने के बाद आपको डिब्बाबंद खाने पर भी 18 प्रतिशत तक का टैक्स देना होगा। इसी तरह आभूषण पर अभी 3 प्रतिशत ड्यूटी और रेडीमेंट Garments (परिधानों) पर 4 से 5 प्रतिशत स्टेट vat लगता है लेकिन 18 प्रतिशत GST लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो सकते हैं। इसके बाद Discount भी महंगा हो जाएगा। अभी discount के बाद बची बाकी की कीमत पर टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अंकित मूल्य पर भी टैक्स लगेगा। इसके अलावा सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी क्योंकि अभी मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है जो बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

GST के अंतर्गत कर ढ़ांचा में तीन तरह के टैक्स शामिल होगें जिनमें पहला CGST-Central Goods and Service Tax (केंद्रिय वस्तु एवं सेवा कर), जिसे केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा SGST (State Goods and Service Tax), जिसे राज्य सरकारें वसूलेंगी तथा तीसरा कर होगा IGST (Integrated Goods and Services Tax) जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लगेगा तथा इसे दोनों राज्यों में बराबर अनुपात में बाँटा जाएगा। सरकार GST का एक पोर्टल बनाएगी जिस पर PAN नंबर दर्ज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अद्वितीय पहचान संख्या (Unique Identifcation Number) मिलेगा तथा इस नंबर का इस्तेमाल करके आप एक बार में ही Tax की Online Payment कर पाएंगे।

भारत की विदेश नीति

"जिसमें शांति, मित्रता और हो राष्ट्रीय हितों की प्रतीति।
सही मायनों में उसे ही कहते हैं, भारत की विदेश नीति।।"

कोई भी देश अलग-थलग होकर या पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं रह सकता। विभिन्न देशों की विविध प्रकार की जरुरतों की पूर्ति के लिए उनमें पारस्परिक अंतनिर्भरता उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाती है और इससे सहयोग एवं मतभेद की ताकतों को भी बल मिलता है।

एक देश की विदेश नीति को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। जैसे- भू-राजनीति, सैन्य क्षमता, आर्थिक शक्ति तथा सरकार का स्वरूप आदि। दूसरी तरफ विदेश नीति संबंधी निर्णय वैश्विक एवं आंतरिक प्रभावों द्वारा निर्धारित होते हैं।

भारत की विदेश नीति उत्तरोत्तर प्रगति की घरेलू प्राथमिकताओं को एकीकृत करती है जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास भी समहित है। साथ ही यह वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सुधार शामिल है। जब हम अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें वैश्विक मामलों में तेजी से बदलते परिवेश एवं अपनी सुरक्षा तथा आर्थिक वास्तुशास्त्र के साथ अपने बेहतर तारतम्य को सुनिश्चित करना होता है ताकि भारतीय हितों की रक्षा हो सके।

भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। हमारी विदेश नीति के अनेक मूलभूत सिद्धांत है जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा करना, राष्ट्रों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता को अपनाना, मानवाधिकारों का सम्मान करना, तथा नि:शस्त्रीकरण अभियान का समर्थन करने के साथ-साथ भेदभाव एवं असामनता का विरोध करना आदि।

विश्व व्यवस्था के नवीन ढ़ाँचे में खुद को समायोजित करने की प्रक्रिया के अधीन भारत ने भी अपनी विदेश नीति को पर्याप्त लचीला एवं अनुकूलनशील स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों के रूप में गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पंचशील, सम्राज्यवाद एवं रंगभेद-विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन आदि को अपनाया है।

आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत और स्वयं की संप्रभुता को बनाए रखने की अवधारणा गुटनिरपेक्षता में निहित है। गुटनिरपेक्षता दो शक्ति ध्रुवों के बीच किसी के भी साथ स्वयं के जुड़ने की निषेध नीति है और शांतिपूर्ण सौहार्द बढ़ाने की पक्षधारिता नीति है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता बताया है।

बाल श्रम

"जिनको जाना था, यहाँ पढ़ने को स्कूल।

जूतों पर पॉलिस करें, वो भविष्य के फूल।।"

ये पंक्तियाँ बाल-श्रम से जुड़े अभिशाप को व्यक्त करती हैं, जिसने शहरों और गाँवों में हर जगह अपना मकड़जाल बिछाया हुआ है। खेलने-कूदने की उम्र में बच्चा श्रम करने के लिए विवश हो जाए, इससे अधिक विडम्बना एक विकसित होते समाज के लिए और क्या हो सकती है ? बाल श्रम एक बहुत ही गम्भीर समस्या है, यह मानवाधिकारों का हनन करती है।

भारत में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ अभिभावकों द्वारा धनाभाव को दूर करने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा व खेल-कूद से वंचित कर, श्रम करने के लिए विवश किया जाता है। कड़कड़ाती ठण्ड, हो भीषण गर्मी हो या बरसात हो छोटे बच्चे कैंटीन, रेस्तरां रासायनिक कारखानों तथा अनेक फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाई देते हैं।

भारतीय संविधान में बाल-श्रम रोकने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। जैसे- 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। सभी बालकों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, राज्य नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

बाल-श्रम निषेध अधिनियम-1986, पहला अधिनियम है, जिसके अंतर्गत सरकार ने देश के अधिकतर जिलों में राष्ट्रीय बाल-श्रम प्रोजेक्ट तथा इण्डस प्रोजेक्ट द्वारा जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया हुआ है कि वे बाल-श्रम रोकने की हर सम्भव कोशिश करें।

वर्तमान समय में भारत सरकार बाल-श्रम को रोकने की दिशा में काफी प्रयास कर रही है। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठन एनजीओ भी समान रूप से सहयोग कर रहे हैं। 'बचपन बचाओ आंदोलन' में एनजीओ ने बहुत सराहनीय काम किया है।

बाल-श्रम केवल एक बीमारी ही नहीं अपितु कई बीमारियों की जड़ है। इस कुरीति को रोकने का दायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हम सबका है। यह समस्या हमारी प्रगति, शिक्षा, योग्यता, संवेदना तथा मानवता पर अनेक सवाल खड़े करती है। यदि हम सब मिलकर बाल-श्रम को रोकने की एक सार्थक पहल करें तो राष्ट्र के निर्माण की स्वभाविकता बनी रहेगी।

डिजिटल इंडिया

"कागजी काम होगा कम,
डिजिटल हो देश का जन-जन।।"

भारत को संपूर्ण डिजिटल देश में बदलने के लिए 1 जुलाई, 2015 को भारतीय सरकार के द्वारा 'डिजिटल इंडिया अभियानन' की शुरुआत की गई। सरकारी विभागों और प्रमुख कंपनियों, चाहे वे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय के एकीकरण के द्वारा डिजिटल रूप में सशक्त भारतीय समाज के लिए यह एक योजनागत पहल है। भारतीय नागरिकों के लिए आसान पहुँच पर, सभी सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए का डिजिटलाईजेशन करना मुख्य कारण है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र हैं :-

भारतीय लोगों के लिए एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना हो क्योंकि यह तेज गति की इंटरनेट पहुँच उपलब्ध कराएगा, जिससे सभी सरकारी सेवा तक आसान और तेज पहुँच हो जाएगी। ये नागरिकों को जीवन पर्यंत, अनोखा, ऑनलाइन और प्रामाणिक रूप से डिजिटल पहचान उपलब्ध कराएगा। यह किसी भी ऑनलाइन सेवा जैसे- बैंक खाता खोलना, वित्त प्रबंधन, सुरक्षित और सुनिश्चित साईबर स्पेस, शिक्षा आदि के लिए बेहद कारगर साबित होगा।

सुशासन की अत्यधिक माँग और ऑनलाइन सेवा डिजिटलाईजेशन के द्वारा वास्तविक समय में सभी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। डिजिटल रूप में बदलती हुई सेवा भी वित्तीय लेन-देन को आसान इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद के बनाने के द्वारा ऑनलाइन व्यापार करने के लिए लोगों को बढ़ावा देगी।

भारतीय लोगों का डिजिटल सशक्तीकरण, डिजिटल संशाधनों की वैश्विक पहुँच के द्वारा डिजिटल साक्षरता को वास्तव में संभव बनाएगी। ऑनलाइन प्रमाण-पत्र या जरूरी दस्तावेजों को जमा कराने के लिए यह लोगों को सक्षम बनाएगी, ताकि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रूप से प्रस्तुति की आवश्यकता हो।

डिजिटल सेवा से व्यवसाय में सहजता आएगी, इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित वित्तीय लेन-देन होगा तथा विकास के लिए जीआईएस का फायदा उठाया जाएगा। डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कई मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है जिसके दायरों को पुनर्गठित और पुन:केंद्रित किया जाएगा। क्लाउड, मोबाइल इत्यादि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया पुनर्रचना और प्रक्रिया में सुधार केंद्रित करना आदि इसका उद्देश्य है जिसके माध्यम से 'मेक इन इंडिया' इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा देश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ेगी।

'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाना है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को नियंत्रित करना है। यह तरह-तरह के विचारों को एकल एवं व्यापक विजन में समाहित करता है ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय (डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी) द्वारा किया जाना है।